

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

076 बयाना (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

डा. ऋतु बनावत

गाँधी सेवा सदन लाल बाग नगर पालिका- बयाना, भरतपुर

जो निर्दलीय (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े की गई हैं ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान : एम.एस.जे. कॉलेज, भरतपुर

दिनांक.: 03-12-2023



(अमीलाल यादव)

रिटर्निंग ऑफिसर

076- बयाना (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बयाना

अमीलाल यादव
रिटर्निंग अधिकारी
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (076) बयाना
(एस.डी.एम. बयाना)

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 076-Bayana (SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Dr. RITU BANAWAT

GANDHI SEVA SADAN, LAL BAG, NAGARPALIKA- BAYANA, BHARATPUR

sponsored by **Independent** (name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: M.S.J. College, Bharatpur

Dated : 03-12-2023


(AMEELAL YADAV)
Returning Officer

076-Bayana (S.C.) Assembly Constituency
Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate Bayana

अमलाल यादव
रिटर्निंग अधिकारी
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (076) बयाना
(एस.डी.एम. बयाना)